छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनी)

गैर अंशदायी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

निविदा – प्रपत्र

वर्श 2021–22

मूल्य रू0 885/–

(+जी0एस0टी0 सहित)

कार्यालय :

कार्यपालक निदेशक (भंडार एवं क्रयःउत्पा.)
छ.ग.स्टेट पॉवर उत्पा.कंपनी लिमि., रायपुर
डंगनिया, रायपुर, पिन नं0 492013 दूरभाष क्रमांक : 0771–2574451
वेबसाईटः– **www.cspc.co.in**
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)

निविदा विशिष्टीकरण क्रमांक–........

1.	निविदा क्रमांक	: 03–11/Tn-S-1106/TS-1482/2021
2.	विवरण	: गैर अंशदायी व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा योजना
3.	निविदा जमा करने की तिथि व समय	: दिनांक 06.04.2021 समय अपरान्ह 15:30 बजे
4.	निविदा खोलने की तिथि व समय	: दिनांक 06.04.2021 समय अपरान्ह 16:00 बजे निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि, जो निविदा खोलने के समय उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में निविदा खोला जावेगा।
5.	फर्म का नाम	: मेसर्स.. ....
6.	निविदा दस्तावेज़ का मूल्य	: रू0 885/–(+जी0एस0टी0 सहित)

कार्यपालक निदेशक(भंडार एवं क्रयःउत्पा.)
o/c छ.ग.स्टेट पावर उत्पा.कंपनी लिमि. रायपुर

C:\Users\11040722\Desktop\Tender File 2021-22.S&P (Gair Ansdayi Bima (GPAIP) (1).docx\\\2\\\
27 March 2021

विवरणिका

अनुक्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	निविदाकर्ता के लिए निर्देश (निविदा की शर्तें)	2 से 6
2.	निविदाकर्ता हेतु विशेष शर्तें/निर्देश–परिशिष्ट क्रमांक–I	7 एवं 8
3.	अनुसूची –I	9
4.	अनुसूची –II–निविदाकर्ता द्वारा घोषणा पत्र	10
5.	परिशिष्ट –II	11
6.	निविदा आमन्त्रण सूचना	12

निविदाकर्ताओं के लिए निर्देश
(निविदा की शर्तें)

1. कार्यपालक निदेशक (भंडार एवं क्रयःउत्पा.), छ0ग0स्टेट पॉ0 उत्पा. कं0लिमि0,डंगनिया, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कम्पनी लिमिटेड, रायपुर की तरफ से कम्पनी में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु गैर अंशदायी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत नियोजन के दौरान कार्य अवधि में दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने की स्थिति में जोखिम राशि रू0 15 लाख तथा नियोजन के दौरान किसी भी समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर जोखिम राशि रू0 5 लाख प्रति कर्मचारी, दावा हेतु बीमा कराने के लिए सक्षम बीमा कंपनी से निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. ई0एम0डी0 :–

(i) ई0एम0डी0 की राशि रू0 55000/–मात्र है, जो कि अनिवार्य है, को राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक द्वारा Asst.Manager(CAU),CSPGC.L., Raipur के नाम से जारी ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जो रायपुर स्थित राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक, में भुगतान योग्य हों, जमा की जावे।

(a) जिस बीमा कंपनी को ई0एम0डी0 से छूट दी गई है अर्थात् i(b) को छोड़कर अन्य बीमा कंपनियों के लिए ई.एम.डी. राशि रूपये 55000/– जमा करना अनिवार्य है।

(b) भारत सरकार के बीमा उपक्रम Govt. of India Undertaking Insurance Companies ई0एम0डी0 राशि जमा करने से उन्मुक्त (exempted) होंगे, जिसके सम्बन्ध में उन्हें दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

3. निविदा पूर्व निर्धारित/अपेक्षित – अर्हताः–

क्र0	वर्ष 2021–22 हेतु निविदा पूर्व प्रस्तावित/निर्धारित/अपेक्षित अर्हता	निविदा पूर्व निर्धारित अर्हता को जांचने हेतु आवश्यक दस्तावेज
1	बीमा कंपनियों हेतु अपेक्षित अर्हताएं :– विगत तीन वर्षों के लाभ–हानि खाता/ बैलेंस शीट, जो अंकेक्षित हो, उपलब्ध हो।	विगत तीन वर्षों (2017–18, 2018–19 व 2019–20) का लाभ–हानि खाता/ बैलेंस शीट, जो अंकेक्षित हो, संबंधित दस्तावेज (छायाप्रति नोटराइज्ड)
2	बीमा कंपनियों का जी0एस0टी0 पंजीयन अनिवार्य है।	जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण–पत्र की छायाप्रति नोटराइज्ड।
3	बीमा कंपनी का आई0आर0डी0ए0 (बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) में पंजीकरण अनिवार्य है।	i. नई बीमा कंपनियों, जिनका आई0आर0डी0ए0 से पंजीयन वर्ष 2015–16 या उसके पश्चात् हुआ हो, के पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति नोटराइज्ड

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुद्रा

		ii. कंडिका 1 में उल्लिखित कंपनियों के अलावा अन्य बीमा कंपनियों को वर्ष 2014–15 के पंजीकरण नवीनीकरण के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति नोटराइज्ड।
4	आई0आर0डी0ए0 पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा वर्ष 2021–22 के लिये पंजीयन के नवीनीकरण के लिये निर्धारित शुल्क जमा किया गया हो।	आई0आर0डी0ए0 में पंजीयन नवीनीकरण शुल्क के रूप में वर्ष 2021–22 हेतु जमा की गई राशि के प्रमाण के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेजों में से अंकित कोई एक दस्तावेज :– i. आई0आर0डी0ए0 द्वारा शुल्क प्राप्त करने संबंधी रसीद की छायाप्रति नोटराइज्ड। ii. आई0आर0डी0ए0 द्वारा पंजीयन के नवीनीकरण हेतु जारी इन्वाईस तथा बैंक द्वारा उपरोक्त शुल्क के आई0आर0डी0ए0 के खाते में हस्तांतरित राशि के संबंध में प्रमाण–पत्र की छायाप्रति नोटराइज्ड। iii. आई0आर0डी0ए0 द्वारा पंजीयन के नवीनीकरण हेतु जारी इन्वाईस तथा बीमा कंपनी द्वारा अपने खाते से आई0आर0डी0ए0 को शुल्क जमा किये जाने के संबंध में बीमा कंपनी के एकाउन्ट का संबंधित बैंक द्वारा प्रमाणित स्टेटमेंट की छायाप्रति नोटराइज्ड।
5	बीमा कंपनी का रायपुर में स्थानीय कार्यालय होना चाहिए।	स्थानीय कार्यालय का वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष एवं फैक्स क0 व संबंधित प्रबंधक का मोबाईल नं0 तथा उसके मुख्यालय, कार्यालय का नाम/पता, फैक्स क0 व ई–मेल अंकित करें।
6	बीमा कंपनियों द्वारा निविदा प्रपत्र में अनुसूची–I व II के अनुरूप कमशः परिवचन व घोषणा–पत्र दिया जाना होगा।	अनुसूची–I (निविदा प्रपत्र संबंधी परिवचन) तथा अनुसूची–II (निविदाकर्ता द्वारा घोषणा–पत्र) हस्ताक्षर व पदमुद्रा के साथ।

4. निविदा की प्रस्तुतिः–

अ. निविदा तीन भागों में प्रस्तुत की जावे, भाग(1) ई0एम0डी0 की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक (अन्य संव्यवहार स्वीकृत नही होंगे) (2) निविदा पूर्व निर्धारित/अपेक्षित – अर्हता एवं भाग (3) बीमा प्रीमियम की राशि (Price Bid)।

ब. उपरोक्त तीनों भाग अलग–अलग लिफाफे में प्रस्तुत किये जावेंगे। प्रथम लिफाफे के ऊपर में ई0एम0डी0 अंकित किया जावे, द्वितीय लिफाफे के ऊपर में "निविदा पूर्व (टेक्नो कामर्शियल बिड)–अर्हता" अंकित किया जावे, जिस पर "निविदा पूर्व (टेक्नो कामर्शियल बिड)–अर्हता" से संबंधी जानकारी दी जावे तथा तीसरे लिफाफे में स्पष्ट रूप से "बीमा प्रीमियम की राशि" (अंकों तथा शब्दों में) लिफाफे के अंदर अंकित किया जावे व बीमा प्रीमियम की न्यूनतम राशि निर्धारित प्रपत्र में भरकर देवें। तत्पश्चात् तीनों लिफाफों को एक बड़े

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुद्रा

लिफाफे में निविदा विशिष्टिकरण क्रमांक, निर्धारित तिथि, निविदा खोलने की तिथि तथा बीमा कंपनी का नाम व पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित कर, कार्यपालक निदेशक (भंडार एवं क्रयःउत्पा.), छ0ग0स्टेट पॉ0 उत्पा. कं0लिमि0,डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि या उसके पूर्व जमा किया जावे। उपरोक्त लिफाफे ठीक तरह से सील्ड होने चाहिए।

स. उपरोक्त तीनों निविदा लिफाफों को प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या उपरोक्त दर्शित शर्तों का अक्षरशः पालन न किये जाने पर, निविदाकर्ता के लिफाफे/निविदा निरस्त मानी जावेगी ।

5. निविदा खोलने की तिथि व समयः– बीमा कम्पनी/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में (यदि वे उपस्थित होना चाहें) प्राप्त समस्त निविदायें, निर्धारित समय व तिथि में खोली जावेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को शासकीय या स्थानीय अवकाश हो जावे, तो निविदा स्वयमेव अगली कार्यालयीन तिथि को खोली जावेंगी, जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि या समय में कोई परिवर्तन/स्थगन छ0ग0स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी द्वारा अपरिहार्य कारणों से किया जाता है, तो उसकी सूचना निविदाकर्ताओं को दी जावेगी।

6. उपरोक्त तीनों लिफाफों में से प्रथम लिफाफे में ई0एम0डी0 की राशि का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, दूसरे लिफाफे में निविदा पूर्व–अर्हता पूर्ण पाए जाने पर ही तीसरे लिफाफे (Price Bid) को खोला जायेगा। निविदा दर का लिफाफा खोलने की प्रक्रिया निविदा खोलने की दिनांक पर या उसके बाद किसी अन्य दिनांक पर की जा सकती है, जिसकी सूचना निविदाकर्ता को अलग से प्रेषित की जावेगी ।

7. बीमा कंपनियां कृपया नोट करें:–

अ. निविदा के दस्तावेज़, निविदा विशिष्टीकरण में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों का पालन कड़ाई से करते हुए प्रस्तुत करें।

ब. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के नियमों एवं शर्तों का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर इसके परिपालन की सुनिश्चितता के पश्चात् ही निविदा प्रपत्र जमा की गई हो।

स. निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किसी प्रकार की सिफारिश निषेध है तथा यदि निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार की सिफारिश की जाती है, उस स्थिति में निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

द. निविदा में किसी प्रकार की गलत जानकारी देकर यदि ऐसी परिस्थिति पैदा की गई हो, जिससे निविदा स्वीकार करने के लिए पॉवर कंपनी को बाध्य होना पड़े, ऐसी स्थिति आने पर किसी भी समय पॉवर कंपनी को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।

इ. निविदा दस्तावेज़ किसी भी परिस्थिति में अन्य को हस्तान्तरित नहीं होंगे।

क. निविदाकर्ता द्वारा निविदा के समस्त दस्तावेज़ों के हर पृष्ठ में पूरे मुद्रा एवं हस्ताक्षर (दिनांकित) होने चाहिए।

ख. टेलीग्राफिक/टेलेक्स/फैक्स के माध्यम से दिया गया ऑफर स्वीकार्य नहीं है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुद्रा

ग. निविदा प्रपत्र शुल्क वापसी योग्य नहीं है।

घ. असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गयी अमानत राशि निविदा के अंतिम होने के बाद वापिस की जावेगी।

ड. निविदाकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

च. निविदा दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से त्रुटि रहित लिखा जावे, दुबारा लिखावट या सुधार की स्थिति में केवल एक लाईन से काटकर लिखें तथा उस स्थान पर हस्ताक्षर (दिनांकित) करें। त्रुटियों को मिटाने हेतु सफेदा या अन्य किसी भी प्रकार के केमिकल लगाना प्रतिबंधित है।

छ. सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।

ज. किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा रायपुर स्थित न्यायालय में होगा।

झ. इस हेतु बीमा कम्पनी के निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कम्पनी के सक्षम अधिकारी से अधिकृत होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें ।

ञ. बीमा कंपनी, जिनको निविदा पश्चात कार्यादेश जारी किया जाता है, के द्वारा जमा की गयी ई0एम0डी0 राशि पॉवर कंपनी के समक्ष सुरक्षा निधि के रुप में जमा/समायोजित की जाएगी, जिसका भुगतान बीमा अवधि के दौरान देय समस्त दावों के भुगतान के पश्चात् ही देय होगा।

8. <u>निविदा में हस्ताक्षर हेतु अधिकारः–</u>

निविदा प्रपत्र में बीमा कंपनी के वे ही सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर करें, जिन्हें बीमा कम्पनी की ओर से अधिकार दिया गया हो अथवा उनके द्वारा पूर्ण वैधानिक रूप से अधिकृत व्यक्ति ही हस्ताक्षर करने का पात्र होगा, जिसके लिए उन्हें कंपनी के सक्षम अधिकार पत्र/पॉवर आफ एटार्नी की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी, अनधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया आफर स्वीकार्य नहीं है।

9. <u>निविदा की वैधताः–</u>

निविदा की वैधता न्यूनतम् 90 दिनों की होगी। इस अवधि में जारी कार्यादेश का क्रियान्वयन निविदाकर्ता के लिए निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई संपूर्ण बीमा अवधि के लिए मान्य एवं बंधनकारी होगा।

10. निविदा दस्तावेज़ के लिफाफे लाने वाले पत्र–वाहक को चाहिए कि वह इस लिफाफे को कार्यपालक निदेशक (भंडार एवं क्रयःउत्पा.), छ0ग0स्टेट पॉ0 उत्पा. कं0लिमि0,डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध टेण्डर बाक्स में कार्यालयीन समय अर्थात् पूर्वान्ह 10.30 बजे से अपरान्ह 5.30 तक ही डाले। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त समय सारिणी निविदा खुलने के दिन लागू नहीं है तथा उसके पूर्व के कार्यदिवसों पर ही लागू है। निविदा खुलने के दिन निविदा जमा करने/टेण्डर बाक्स में डालने का समय अपरान्ह 15:30 बजे तक ही होगा। विशेष पत्र वाहक द्वारा निविदा बाक्स में डाले गए निविदा की कोई अलग से पावती नहीं दी जावेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुद्रा

11. देर/विलम्ब से प्राप्त निविदाः–

अ. निविदाकर्ता से यह आशा की जाती है कि वह निर्धारित समय से निविदा प्रपत्र/दस्तावेज़ प्राप्त करे व निर्धारित समय तक उक्त प्रपत्र को भरकर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा.कंपनी लिमिटेड के निविदा बाक्स में डलवायें। यदि निविदा प्रपत्र/दस्तावेज़ डाक से प्राप्त करने या भेजने में विलंब होता है, उसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड़ की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही उक्त कारण से निर्धारित समय में कोई बढ़ोत्तरी की जावेगी।

ब. निविदा खुलने की निर्धारित तिथि तथा समय (अथवा विस्तारित तिथि समय) के बाद प्राप्त निविदायें अस्वीकार्य होंगी तथा बिना खोले ही निविदाकर्ता को वापस कर दी जावेंगी। यदि निविदा खुलने की तिथि किसी कारण से आगे बढ़ाई जाती है तो उस स्थिति में सभी निविदाकर्ताओं को सूचित किया जावेगा तथा निविदा खुलने की अगली निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी निविदायें (पूर्व में निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदाओं सहित) खोलने हेतु मान्य की जावेगी।

12. निविदा प्रपत्र की भाषाः– निविदा प्रपत्र की प्रत्येक प्रविष्टियां केवल हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में ही होगी।

13. निविदा–करारः–

पॉवर कंपनी द्वारा निविदा स्वीकार किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी किया जावेगा। कार्यादेश प्राप्त होते ही आदेशित बीमा कंपनी तथा पॉवर कंपनी के मध्य एक द्विपक्षीय आपसी सहमति–पत्र (MOU) "रु0 300/– का नान ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर" (शुल्क बीमा कंपनी द्वारा वहन योग्य) हस्ताक्षर किया जावेगा। इस सहमति–पत्र के हस्ताक्षर होने के बाद ही प्रीमियम राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि आदेशित बीमा कंपनी द्वारा 10 दिनों के मध्य द्विपक्षीय आपसी सहमति पत्र हस्ताक्षरित नहीं की जाती, तो तत्काल कार्यादेश निरस्त कर ई0एम0डी0 की राशि राजसात कर ली जाएगी व उक्त कंपनी के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी।

14. निविदा अवधिः–

बीमा की अवधि एक वर्ष की होगी, जो कार्यादेश प्रसारित होने पर द्विपक्षीय आपसी सहमति–पत्र हस्ताक्षरित होने तथा बीमा प्रीमियम की राशि, बीमा कंपनी को प्रदान करने की पत्रानुसार तिथि से प्रभावशील होगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व मुद्रा

परिशिष्ट क्रमांक–I
निविदाकर्ता हेतु विशेष शर्तें/निर्देशः–

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड में कार्यरत् अपने लगभग 3768 अधिकारियों/कर्मचारियों की नियोजन के दौरान कार्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर जोखिम राशि रू0 15 लाख तथा नियोजन के दौरान किसी भी समय अन्य दुर्घटनावश मृत्यु होने पर जोखिम राशि रू0 5 लाख प्रति व्यक्ति के लिए सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 2021–22, एक वर्ष की अवधि अर्थात कार्यादेश प्रसारित होने, द्विपक्षीय आपसी सहमति–पत्र हस्ताक्षरित होने तथा बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करने की पत्रानुसार तिथि से प्रभावशील होगी, के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड द्वारा सक्षम बीमा कंपनियों से भाव आमंत्रित किया जाता है ।

1. यह योजना, नियोजन के दौरान, कार्य अवधि में दुर्घटनावश एवं किसी भी समय दुर्घटना के कारण, मृत्यु होने पर भले ही कर्मचारी/अधिकारी कार्य पर उपस्थित हों अथवा नहीं, (अर्थात् कर्तव्य स्थल से दूर रहने पर भी) प्रभावशील होगी। यह योजना छ0ग0 स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड में कार्यरत् नियमित/कार्यभारित/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगी।
2. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड में कार्यरत् समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नियोजन के दौरान कार्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर जोखिम राशि रू0 15 लाख एवं नियोजन के दौरान किसी भी समय दुर्घटनावश मृत्यु होने पर जोखिम राशि रू0 5 लाख प्रति व्यक्ति के लिए सामूहिक/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कराई जाएगी, जो अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों/नामिनी को नियमानुसार प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड के माध्यम से बीमा कंपनी द्वारा देय होगी।
3. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं भर्ती तथा अन्य कारणों से उनकी संख्या में कमी/वृद्धि होने की संभावना अपेक्षित है। अतः वार्षिक बीमा प्रीमियम में समानुपातिक कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
4. बीमा अवधि सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कार्यादेश प्रसारित होने, बीमा कंपनी एवं पॉवर कंपनी के मध्य द्विपक्षीय आपसी सहमति–पत्र हस्ताक्षरित होने तथा बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करने की पत्रानुसार तिथि से प्रभावशील होगी। दुर्घटनावश मृत्यु की सूचना विलंब से प्राप्त होने पर उन प्रकरणों में भी बीमा कम्पनी निर्धारित जोखिम राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड (C.S.P.G.C.L.) को करेगी।
5. यह योजना गैर अंशदायी प्रकृति की है, अर्थात् योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कपनी लिमिटेड द्वारा वार्षिक प्रीमियम देय होगा। यह बीमा योजना छ0ग0 स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य अवधि के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में कर्मचारियों के आश्रितों को देय कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (यथा संशोधित 2020) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि की प्रतिपूर्ति के लिये भी करायी गयी है तथा किसी भी समय दुर्घटनावश मृत्यु, जो नियोजन के दौरान घटित हुई हो, से संबंधित बीमा से प्राप्त दावा राशि कर्मचारी के आश्रित को हितलाभ के तहत प्रदान की जावेगी। अतः बीमा कंपनी जोखिम राशि का चेक/ड्राफ्ट, Asst. Manager CAU CSPGCL., Raipur के नाम से जारी करते हुए, महाप्रबंधक/मुख्य अभियंता/अति0 मुख्य अभियंता (मानव संसाधन), छ0ग0स्टेट पॉ0 उत्पा. कं0लिमि0,डंगनिया, रायपुर के माध्यम से प्रेषित करेगी। बीमा कम्पनी द्वारा दावा राशि RTGS/NEFT के माध्यम से किये जाने की स्थिति में संबंधित (मृतक कर्मचारी/अधिकारी का नाम जिसका दावा राशि भुगतान किया जा रहा है तथा संदर्भित बैंक का UTR No एवं दिनांक आदि) विस्तृत जानकारी महाप्रबंधक/मुख्य अभियंता/अति0 मुख्य अभियंता (मानव संसाधन), छ0ग0स्टेट पॉ0 उत्पा. कं0लिमि0,डंगनिया, रायपुर को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जावेगा ।

6. बीमा कंपनी दावा पत्रक प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के मध्य अनिवार्य रूप से जोखिम राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड, रायपुर को करेगी। घटना की जानकारी और वांछित प्रपत्र स्टेट पॉवर कंपनी के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त होने पर कार्य की प्रगति की जानकारी, प्रतिमाह बीमा कम्पनी महाप्रबंधक/मुख्य अभियंता/अति0 मुख्य अभियंता (मानव संसाधन), छ0ग0स्टेट पॉ0 उत्पा. कं0लिमि0,डंगनिया, रायपुर को प्रदान करेगी ।

7. सभी पत्रक प्राप्त होने के बाद भी 30 दिनों के अन्दर दावा राशि का भुगतान न कर सकने की स्थिति में बीमा नियामक व विकास प्राधिकारी (योजनाधारक के हितों का संरक्षण) विनियमन, 2002 की धारा 9(6) के अनुसार बीमा कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित निर्धारित बैंक दर से 02% अधिक ब्याज दर शास्ति के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड, रायपुर को प्रदान करेगी।

8. चूंकि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड का कार्य–क्षेत्र पूरे छत्तीसगढ़ राज्य अर्थात् सुदूर इलाकों तक फैला हुआ है, जिससे दावा सूचना देने में विलम्ब हो सकता है, ऐसे प्रकरणों में भी निर्धारित बीमा दावों का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा किया जायेगा, बशर्ते कि दावा की गई दुर्घटना अनुबंध के समय सीमा के अंदर ही हुई हो। प्रस्तावित दुर्घटना बीमा योजना का मूल उद्देश्य ही यही है कि जो भी दुर्घटना बीमा अवधि के दौरान हुई हो, वह इस योजना के अंतर्गत आवेगी।

9. बीमा अवधि में घटित दुर्घटना के उपरांत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हुए अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु होने पर भी, बीमा कंपनी जोखिम राशि का भुगतान करेगी। भले ही अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु, बीमा अवधि समाप्त होने के बाद हुई हो।

10. बीमा कंपनी अपने सक्षम प्राधिकारी का नाम/विवरण, कार्यालय का पता, दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक व ई–मेल, रायपुर स्थित कार्यालय के निश्चित स्थल का नाम, सक्षम मुख्य अधिकारी का पता, फैक्स, मोबाईल, दूरभाष क्रमांक व ई–मेल सहित प्रेषित करें। साथ ही, आई0आर0डी0ए0 के परिवेदना प्रकोष्ठ का पूर्ण पता, दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक सहित संलग्न करे, जिस पर पत्र व्यवहार किया जा सके।

11. बीमा कंपनी को छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड से प्रीमियम चेक प्राप्त करने के पूर्व एक द्विपक्षीय आपसी सहमति पत्र रू0 300/– (रूपये तीन सौ मात्र) के स्टाम्प पर हस्ताक्षर करना होगा और आपसी सहमति पत्र में वर्णित प्रत्येक बिंदुओं का परिपालन दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होगा। चूंकि बीमा कंपनी, बीमा राशि (प्रीमियम) प्राप्त करने के बाद ही बीमा पॉलिसी करती है, अतः बीमा पॉलिसी में वर्णित विषय बिन्दु और आपसी सहमति–पत्र में वर्णित विषय बिन्दु में यदि कोई विसंगति आती है तो आपसी सहमति से उसका निपटारा किया जायेगा।

12. कंपनी में विगत 3 वर्षों में हुई दुर्घटनावश मृत्यु के आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

क्र0	वर्ष	कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु की संख्या	अन्य दुर्घटनावश मृत्यु की संख्या
		जन0	जन0
1.	2018–19	01	–
.	2019–20	–	–
3.	2020–21 (दिनांक 16.03.2021 तक)	–	–

13. प्रस्तावित बीमा योजना के सम्बन्ध में यदि कोई भी स्पष्टीकरण या जानकारी चाहिए तो उसे निविदा जमा करने के पूर्व ही प्राप्त कर लिया जावे। निविदा जमा करने के पश्चात् किसी भी तरह का विवाद मान्य नहीं होगा।

कार्यपालक निदेशक (भंडार एवं क्रयःउत्पा.)
o/c छ.ग.स्टेट पॉवर उत्पा.कंपनी लिमि., रायपुर

कार्यालय : कार्यपालक निदेशक (भंडार एवं क्रयःउत्पा.)
छ.ग.स्टेट पॉवर उत्पा.कंपनी लिमि., रायपुर
डंगनिया, रायपुर, पिन नं0 492013 दूरभाष क्रमांक : 0771–2574451
वेबसाईटः– www.cspc.co.in

अनुसूची – I

डी0डी0 / एम0आर0 नं0 ....

निविदा पत्र जारी किया गया मेसर्स ....

निविदा प्रपत्र संबंधी परिवचन (Undertaking)

अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा निविदा से संबंधित अपना भाव–पत्र (छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड, रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तों पर) छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड को बंद लिफाफे में प्रस्तुत करता है।

पॉवर कंपनी द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य है। विहित प्रपत्र में लिखे गये या वर्णित समस्त रिक्तियों की पूर्ति की गई है और सभी पूर्तियाँ सही हैं और समस्त दस्तावेज़ संलग्न हैं।

तिथि.......................दिवस.........................पर

निविदाकर्ता का हस्ताक्षर
(सील सहित)

निविदाकर्ता का पता एवं मोबाइल नंबर

अनुसूची–II

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा–पत्र

मैं/हम एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी निविदा विशिष्टीकरण क्रमांक ..... में वर्णित लगभग 3768 अधिकारी/कर्मचारियों का बीमा, जो कि कार्यादेश प्रसारित होने, द्विपक्षीय आपसी सहमति–पत्र हस्ताक्षरित होने तथा बीमा प्रीमियम की राशि बीमा कंपनी को प्रदान करने की तिथि से एक वर्ष के लिए प्रभावशील होगी, में नियोजन के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने की स्थिति में समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अपना न्यूनतम भाव–पत्र प्रस्तुत करता हूँ/करते हैं। मुझे/हमें छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्धारित निविदा की समस्त नियम व शर्तें स्वीकार्य हैं। मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि वांछित निविदा में मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई संपूर्ण प्रविष्टियाँ व संलग्न दस्तावेज़ सत्य हैं।

दिनांक..................................

निविदाकर्ता का नाम व पूर्ण पता

....

....

....

हस्ताक्षरः–..

अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

....

....

परिशिष्ट – II

बीमा करने हेतु प्रीमियम की न्यूनतम राशि

क्रमांक	लगभग 3768 अधिकारियों/कर्मचारियों का एक वर्ष के लिए नियोजन के दौरान कार्य अवधि में दुर्घटनावश मृत्यु होने पर जोखिम राशि रू0 15 लाख एवं नियोजन के दौरान किसी भी समय दुर्घटनावश मृत्यु होने पर जोखिम राशि रू0 5 लाख प्रति व्यक्ति के लिए वार्षिक प्रीमियम राशि।	
1.	प्रीमियम की दर	
2.	छूट (निःशर्त)–(यदि कोई हो तो)	(–)
	नेट प्रीमियम	
3.	जी0एस0टी0	
4.	कुल प्रीमियम	

नोटः– छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर उत्पा. कंपनी लिमिटेड में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं भर्ती तथा अन्य कारणों से उनकी संख्या में कमी/वृद्धि होने की संभावना अपेक्षित है। अतः वार्षिक बीमा प्रीमियम में समानुपातिक कमी या वृद्धि की जा सकेगी।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
(सील सहित)

निविदाकर्ता का पता